न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 27/2022

श्री हनुमान प्रसाद कुमावत निवासी ठक्कर चौक ऐजेन्सी ऐरिया राजपूत कॉलानी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी जिला—टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 18.07.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला—टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27—04—2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

कार्यालय उप निदेशक एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली (टोंक) के आवन्टन आदेश कमांक 1291—93 दिनांक 16.01.1993 के द्वारा खसरा नम्बर 2434/2393 व 2433/2393 को आवन्टित भूमि का काश्तकारों को कब्जा देते वक्त लट्ठा सीट में (कपडे की सीट पर) की गई तरमीन की नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति दी जावे। जो ऑन लाईन से पूर्व की है जो नक्शा ट्रेस पत्र के साथ सलग्न है।

नोट— सन् 2018 में ऑन—लाईन के समय प्लास्टिक सीट में उक्त खसरा नम्बरों की तरमीम बदल दी गई है। जो नही चाहिएं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी जिला—टोंक को पत्र किमांक 664 दिनांक 27—6—2022 व 677 दिनांक 4.07.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी ने पत्र कमांक: 1050 दिनांक 07—07—2022 से जवाब प्रेषित किया है कि ग्रा[illegible] (कपडे की सीट) जिसमें तरमीम हो रही है व जीर्ण शीर्ण अवस्था में [illegible] शीट की प्रमाणित प्रति दिया जाना सम्भव नही है। अपीलार्थी [illegible] शीट की प्रमाणित प्रति पूर्व में आरटीआई के तहत उप[illegible] को उनके [illegible] कमांक 607 दिनांक 17.05.2022 से सू[illegible] है। जिससे स्पष्ट है [illegible]वेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित [illegible] से अपील अस्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:28:29 IST
Reason: SelfAttested